मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल
(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742 e-mail: it_mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 28 स्था/प्रनिबो/2021 भोपाल, दिनांक 5 JAN 2022

// कार्यालय आदेश //

सामान्य प्रशासन विभाग, म0प्र0 शासन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22/08/2000 के परिप्रेक्ष्य में म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनकी आयु 50 वर्ष तथा बोर्ड सेवा 20 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, के सेवा अभिलेखों की छानबीन हेतु निम्नानुसार दल गठित किया जाता है :-

1. सदस्य सचिव, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – अध्यक्ष
2. श्री हेमन्त शर्मा, डॉयरेक्टर पर्यावरण, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – सदस्य
3. श्री प्रसाद ढबले, स्टॉफ ऑफीसर, पर्यावरण विभाग (शासन प्रतिनिधि) – सदस्य
4. श्री उमराव सिंह, अनुभाग अधिकारी,पर्यावरण विभाग(अजा/अजजा प्रतिनिधित्व)– सदस्य
5. प्रशासकीय अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – सदस्य

उपरोक्त समिति सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 22/08/2000 में उल्लेखित प्रावधान एवं प्रक्रिया के तहत् प्रकरणों का परीक्षण कर दिनांक 20/01/2022 तक अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी।

संलग्न - परिपत्र

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित

सुधीर श्रीवास्तव
(सुधीर श्रीवास्तव)
प्रशासकीय अधिकारी
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृ0क0 29 स्था/प्रनिबो/2021 भोपाल, दिनांक 5 JAN 2022

प्रतिलिपि :-

1. स्टॉफ ऑफीसर, अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, सदस्य सचिव, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. सर्व संबंधित अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. श्री प्रसाद ढबले, स्टॉफ ऑफीसर, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. श्री उमराव सिंह, अनुभाग अधिकारी, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. आई0टी0 शाखा/नोटिस बोर्ड/आर्डर बुक/गार्ड फाइल ।

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-3-24/2000/3/1 भोपाल, दिनांक 22-8-2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा

ऐसे शासकीय सेवक जिनके द्वारा 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई है, उनके सेवा अभिलेखों की नियमित समीक्षा का प्रावधान निम्नानुसार है:—

(1) **मूलभूत नियम-56**

56 (1) उप नियम 2 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए शासकीय शिक्षक और चतुर्थ वर्ग के शासकीय सेवक से भिन्न प्रत्येक शासकीय सेवक उस मास के, जिसमें कि वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु कोई शासकीय सेवक जिसकी जन्म तिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा.

(1-क) उपनियम 2 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक शासकीय शिक्षक उस मास के, जिसमें वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा.

परन्तु कोई शासकीय शिक्षक, जिसकी जन्म तिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा :

स्पष्टीकरण.—इस उप नियम के प्रयोजन के लिये "शिक्षक" से अभिप्रेत है कोई ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता है, जिसकी नियुक्ति किसी शासकीय शिक्षा संस्था में, जिसके अन्तर्गत तकनीकी या चिकित्सीय शिक्षा संस्था भी है, अध्यापन के प्रयोजनार्थ उन भर्ती नियमों के अनुसार की गई है, जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते हैं, और उसके अन्तर्गत ऐसा शिक्षक भी होगा, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा, किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया है और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते वह संबद्ध विद्यालयीन/महाविद्यालयीन/तकनीकी/चिकित्सीय शिक्षा सेवा में के किसी पद पर धारणाधिकार रखता है.

(1-ख) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक चतुर्थ वर्ग का शासकीय सेवक, उस मास के, जिसमें कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु कोई चतुर्थ वर्ग का शासकीय सेवक, जिसकी जन्म तिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा.

(2) (क) किसी शासकीय सेवक को, उसकी 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने या उसकी 50 वर्ष की आयु हो चुकने के पश्चात् किसी भी समय, बिना कोई कारण बतलाए, उसे लिखित सूचना देकर, लोक हित में सेवानिवृत्त किया जा सकेगा.

(ख) ऐसी सूचना की कालावधि तीन मास की होगी :

परन्तु ऐसे शासकीय सेवक को तत्काल सेवानिवृत्त किया जा सकेगा और इस प्रकार सेवानिवृत्त किये जाने पर वह शासकीय सेवक यथास्थिति, सूचना की कालावधि के लिए अपने वेतन तथा भत्तों को, या उतनी कालावधि के लिये जितनी से कि ऐसी सूचना तीन मास से कम की होती है अपने वेतन तथा भत्तों को, जो कि उन्हीं दर से आहरित किए जायेंगे जिन पर कि वह अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व अपना वेतन तथा भत्ते प्राप्त कर रहा था, रकम के समतुल्य राशि का दावा करने का हकदार होगा.

(2) **मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 का नियम 42 (बी)**

नियुक्ति प्राधिकारी राज्य सरकार के अनुमोदन से किसी भी सरकारी सेवक से, उसे प्ररूप 29 में 3 मास की सूचना देकर लोक हित में यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह 20 वर्ष की अर्हतादायी सेवा या 50 वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो, पूर्ण करने के पश्चात् किसी भी समय सेवा से निवृत्त हो जाये :

परन्तु ऐसे शासकीय सेवक को तुरन्त सेवानिवृत्त किया जा सकेगा और ऐसी सेवानिवृत्ति वह (सरकारी सेवक) यथास्थिति, सूचना की कालावधि के लिये या उस कालावधि के लिये, जितने से कि ऐसी सूचना तीन मास से कम पड़ती है, अपने वेतन की रकम के बराबर राशि तथा भत्तों का उन्हीं दर पर जिन पर कि वह अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व वेतन तथा भत्ते ले रहा था, दावा करने का हकदार होगा.

उपरोक्त प्रावधान के अधीन समीक्षा कर उन्हीं शासकीय सेवकों के संबंध में अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर विचार किया जाना है, जो बढ़ती आयु के कारण अथवा बदलते परिवेश में अपने को ढालने की अक्षमता के कारण कार्य क्षमता का अपेक्षित स्तर कायम नहीं रख पा रहे हैं. इस प्रकार की कार्यवाही का यह आशय नहीं है कि शासकीय सेवक को दण्ड के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाये, परन्तु यह सुनिश्चित करना है कि शासकीय सेवक अपनी सेवा दक्षता का उच्च स्तर बनाये रखें. यदि शासकीय सेवक अस्वस्थता के कारण अपने दायित्वों का भली-भांति निर्वहन नहीं कर पा रहा है, या निष्ठा का स्तर बनाये नहीं रख पा रहा है, उनके संबंध में समीक्षा कर निर्णय लेने की कार्यवाही उपरोक्त प्रावधानों के अधीन की जाती है.

2. उपरोक्तानुसार शासकीय सेवकों के प्रकरण में विचार करने के लिए छानबीन समिति का गठन एवं निर्धारित मापदण्डों एवं प्रक्रिया के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं, जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में दर्शाया गया है परिशिष्ट-1 में उल्लेखित इन समस्त परिपत्रों को निरस्त करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिये मापदण्ड एवं प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:—

(1) **छानबीन कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिये निर्धारित मानदण्ड :**

50 वर्ष की आयु और अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शासकीय सेवकों के लिये मूलभूत नियम 56 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 के अधीन छानबीन करते समय अनिवार्य सेवानिवृत्त करने के लिये निम्नानुसार देखा जाये :—

(1) **ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा संदेहजनक होना. (इस हेतु संबंधित शासकीय सेवक का सम्पूर्ण अभिलेख देखा जाकर अनुशंसा की जाए).**

(2) **शारीरिक क्षमता में कमी.**

(3) ख्याति एवं कार्यक्षमता का मूल्यांकन संबंधित शासकीय सेवक के सेवाकाल के सम्पूर्ण अभिलेखों के आधार पर किया जाये. यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक प्रतिकूल अभ्युक्ति अथवा ऐसी अभ्युक्ति जिसे प्रतिकूल अभ्युक्ति की संज्ञा दी जा सकती है, शासकीय सेवक को संसूचित की गई हो.

(राज्य शासन, उ. प्र. एवं अन्य विरुद्ध बिहारी लाल, 1994 की सिविल अपील क्रमांक 6307) (ए आई आर 1995 सुप्रीम कोर्ट 1161)

(4) सम्पूर्ण सेवाकाल के अभिलेखों का समग्र मूल्यांकन "अच्छा (ख)" श्रेणी से कम होना. इसके साथ यह भी देखा जावे कि शासकीय सेवक की कार्यक्षमता में गिरावट तो नहीं आ रही है. विशेषकर पिछले 5 वर्षों के कार्य का स्तर घट तो नहीं रहा है.

(2) छानबीन के लिये समिति का गठन:

छानबीन के लिये समिति निम्नानुसार होगी:—

(अ) राजपत्रित अधिकारियों के लिये (विभागाध्यक्षों को छोड़कर):—

(1)	प्रशासकीय विभाग का अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	अध्यक्ष
(2)	विभागाध्यक्ष	सदस्य
(3)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नामांकित सामान्य प्रशासन विभाग का अपर सचिव/उप सचिव	सदस्य

(ब) अराजपत्रित अधिकारियों के लिये:—

(क) **विभागाध्यक्ष स्तरीय छानबीन समिति.**—यह समिति केवल विभागाध्यक्ष कार्यालय के शासकीय सेवकों की ही छानबीन का कार्य करेगी. जहां विभागाध्यक्ष के अधिकार एक से अधिक अधिकारियों को हैं वहां पर वह विभागाध्यक्ष छानबीन समिति का अध्यक्ष होगा जो समन्वय का कार्य करता है, जैसे प्रमुख अभियंता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक आदि. यह समिति ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों के छानबीन का कार्य भी करेगी जिनके गोपनीय प्रतिवेदन संबंधित विभागाध्यक्ष के स्तर पर रखे जाते हैं. समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे:—

(1)	विभागाध्यक्ष	अध्यक्ष
(2)	प्रशासकीय विभाग की स्थापना शाखा का प्रभारी अपर सचिव/उपसचिव	सदस्य
(3)	अतिरिक्त विभागाध्यक्ष/संयुक्त विभागाध्यक्ष और जहां इस प्रकार का कोई अधिकारी न हो वहां विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थ एक वरिष्ठतम अधिकारी.	सदस्य

टीप.— यदि बैठक के दिनांक को प्रशासकीय विभाग की स्थापना शाखा का प्रभारी अपर सचिव/उप सचिव प्रवास/अवकाश पर होने अथवा किसी अन्य कारण से मुख्यालय में उपस्थित नहीं है तो प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव विभाग में पदस्थ किसी अन्य अधिकारी को नामांकित कर सकेंगे.

(ख) **संभाग स्तरीय छानबीन समिति.**—यह समिति संभाग स्तर के कार्यालयों के शासकीय सेवकों के संबंध में छानबीन का कार्य करेगी. समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे:—

(1)	संभागीय आयुक्त	अध्यक्ष
(2)	संभागीय आयुक्त द्वारा मनोनीत एक संभागीय अधिकारी	सदस्य
(3)	संबंधित विभाग का संभागीय अधिकारी	सदस्य

(ग) **जिला स्तरीय छानबीन समिति.**—यह समिति जिला स्तर पर कार्यालयों के शासकीय सेवकों के संबंध में छानबीन का कार्य करेगी. समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे:—

(1)	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
(2)	कलेक्टर द्वारा मनोनीत एक जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य
(3)	संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य

(घ) **विभागाध्यक्षों के लिये छानबीन समिति.**—विभागाध्यक्षों के प्रकरणों पर विचार करने हेतु छानबीन समिति निम्नानुसार गठित की जावेगी:—

(1)	मुख्य सचिव द्वारा नामांकित अपर मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(2)	संबंधित प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	सदस्य
(3)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य

3. **छानबीन करने की अवधि :**

प्रत्येक विभाग द्वारा उपरोक्त प्रयोजन के लिये छानबीन की कार्यवाही निम्नानुसार की जाए:—

(अ) छानबीन की कार्यवाही संबंधित शासकीय सेवक के 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि से 6 माह पूर्व कर ली जावे. यह कार्यवाही प्रति 6 माह के अन्तराल से की जानी है. अत: इस कार्यवाही के लिये यह निर्धारित किया गया है प्रत्येक विभाग प्रति वर्ष 15 जनवरी और 15 जुलाई तक यह कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करें तथा 5 फरवरी एवं 5 अगस्त, तक इसकी रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित करें.

(ब) जिन शासकीय सेवकों की 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा या 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर छानबीन की गयी हो, उसकी अगली छानबीन प्रत्येक 2 वर्ष में होगी.

4. **आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया :**

अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जाए:—

छानबीन समिति द्वारा छानबीन करने के पश्चात् 20 वर्ष की अर्हतादायी सेवा या 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति के आदेश राज्य शासन का अनुमोदन प्राप्त कर, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किये जायें.

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित मापदण्डों में से सभी मापदण्डों की पूर्ति होना आवश्यक नहीं है. समिति की राय में यदि किसी एक मापदण्ड के आधार पर लोक हित में शासकीय सेवक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की जाना औचित्यपूर्ण हो तो तदनुसार भी कार्यवाही की जा सकती है. मुख्य उद्देश्य यह परीक्षण करना है कि संबंधित शासकीय सेवक जनहित में शासकीय सेवा में निरन्तर रखने योग्य है अथवा नहीं.

6. यदि अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने वाले शासकीय सेवक को 3 माह का नोटिस न देकर तीन मास का वेतन तथा भत्तों का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश के साथ ही उक्त राशि का भुगतान भी संबंधित शासकीय सेवक को कर दिया जावे.

7. **अभ्यावेदन पर विचार किये जाने की प्रक्रिया:**

(1) ऐसे शासकीय सेवक जिसे अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने के संबंध में नोटिस जारी/तामील हुआ हो, वह ऐसे सूचना पत्र की तामीली/आदेश के दिनांक से 3 सप्ताह की समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा.

(2) ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, संबंधित विभाग के द्वारा परीक्षण किया जावेगा कि क्या अभ्यावेदन में ऐसा कोई नया तथ्य या तथ्यों से संबंधित कोई पहलू दर्शाया गया है जिस पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में विचार करते समय विचार नहीं किया गया हो. ऐसा परीक्षण अभ्यावेदन प्राप्त होने से 2 सप्ताह की समयावधि में पूर्ण कर लिया जाये. परीक्षणोपरांत प्रकरण विचारार्थ अभ्यावेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये.

(3) अभ्यावेदन समिति निम्नानुसार रहेगी:—

क्रमांक	सेवा पद का वर्गीकरण	अभ्यावेदन समिति का गठन	
1.	विभागाध्यक्ष के अभ्यावेदन	1. मुख्य सचिव 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त 3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सा. प्र. वि. 4. प्रमुख सचिव, विधि विभाग	
2.	प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी सेवा के अधिकारियों के अभ्यावेदन	1. मुख्य सचिव द्वारा नामांकित अपर मुख्य सचिव 2. संबंधित विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव 3. सामान्य प्रशासन विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव	अध्यक्ष सदस्य सदस्य
3.	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के अधिकारी एवं कर्मचारी.	1. प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 2. प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव 3. संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष	अध्यक्ष सदस्य सदस्य

4. उपरोक्त समिति की बैठक का आयोजन संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा किया जावेगा.

5. अभ्यावेदन समिति 2 सप्ताह की समयावधि में विचार कर अपनी अनुशंसा प्रशासकीय विभाग को भेजेगी और तद्नुसार प्रशासकीय विभाग द्वारा उक्त अनुशंसा पर प्रशासकीय निर्णय विभाग के प्रभारी मंत्री जी से लिया जाकर पारित किया जावेगा. यदि विभाग के प्रभारी मंत्रीजी अभ्यावेदन समिति की अनुशंसा से सहमत नहीं है तो इस स्थिति में प्रकरण मुख्यमंत्रीजी के आदेशार्थ प्रस्तुत किया जायेगा.

6. यदि किसी प्रकरण में यह तय किया जाता है कि जिस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है, उसे उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचारोपरांत पुनः सेवा में लिया जाये तो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति की तिथि तथा पुनः सेवा में लेने के बीच की अवधि का नियमितिकरण मूलभूत नियम 54(बी) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा.

7. प्राप्त अभ्यावेदनों पर पुनर्विचार करने की कार्रवाई प्रशासकीय विभाग द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय-सीमा में ही किया जाना सुनिश्चित करें.

8. यदि किसी शासकीय सेवक के द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नोटिस/आदेश तामील होने के पश्चात् अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है किन्तु उसके द्वारा कोर्ट अथवा प्रशासकीय अधिकरण से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है तो न्यायालयीन प्रकरण के निर्णय तक अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाये.

9. उपरोक्तानुसार छानबीन की कार्यवाही करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले शासकीय सेवकों के बारे में एवं 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शासकीय सेवकों के बारे में समिति का कार्यवाही विवरण भी पृथक् -पृथक् तैयार किया जाए.

शासन चाहता है कि शासन के उपर्युक्त निर्देशों का अत्यन्त कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये एवं छानबीन में अक्षम, अयोग्य तथा भ्रष्ट पाये गये शासकीय सेवकों के विरुद्ध प्रभावकारी कार्यवाही करते हुए लोकहित में उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की जाये. इन निर्देशों के पालन कराने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव की होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(किरण विजय सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.